न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

पीठासीन अधिकारी–श्री मांगीलाल, आर.ए.एस.

मिसल नं0 – 284/2020,

अनवान :–

1. हरदेव सिंह पुत्र श्री सुरजाराम जाति कुम्हार सिख निवासी सावुआना वर्तमान निवासी लौहगढ़ तहसील डबवाली जिला सिरसा
2. जसवीर सिंह पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार सिख निवासी सावुआना वर्तमान निवासी लौहगढ़ तहसील डबवाली जिला सिरसा

–––––प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी

–––अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र बाबत विनिमय

उपस्थित :– श्री अनिल कुमार सिडाना, अधिवक्ता प्रार्थीगण
पैरोकार राज,

निर्णय दिनांक :– 08.01.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी संख्या–1 के नाम से तहसील टिब्बी के अधिनस्थ चक नम्बर 2 एस.बी.एन. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या–43/41 में कुल 0.6423 है0 कृषि भूमि व प्रार्थी संख्या–2 के नाम से चक नम्बर 2 एस.बी.एन. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या–217/43 में 0.6293 है0 कृषि भूमि व प्रार्थी संख्या–1 के नाम से चक नम्बर 5 के.एच.आर. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या–284/48 में 0.635 है0 व प्रार्थी संख्या–2 के नाम से चक नम्बर 5 के.एच.आर. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या– 283/48 में 0.635 है0 कृषि भूमि व प्रार्थीगण का संयुक्त खाता चक नम्बर 5 के.एच.आर. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या–48/57 में कुल 0.089 है0 में प्रार्थी संख्या–1 व 2 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–1 में वर्णित कृषि भूमि का काश्त की सुविधा हेतु विनिमय किया हुआ है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–1 में वर्णित कृषि भूमि में से विनिमय किया गया है, एक ही किस्म व समान गुणात्मकता वाली व समान मूल्य की है तथा दोनों प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि काश्त की सुविधा हेतु आपस में विनिमय की हुई है। विनिमय द्वारा प्रार्थी संख्या–1 हरदेव सिंह को चक नम्बर 2 एस.बी.एन. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या–217/43 में 0.6293 है0 कृषि भूमि व प्रार्थी संख्या–2 जसवीर सिंह को चक नम्बर 5 के.एच.आर. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या–284/48 में 0.635 है0 व चक नम्बर 5 के.एच.आर. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या– 48/57 में कुल 0.089 है0 में प्रार्थी संख्या–1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा की भूमि प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–2 में वर्णितानुसार कृषि

भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से बैंक ऋण लेने, नहरी लगान अदा करने, पानी की पर्ची बनवाने में कठिनाई हो रही है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से एक सप्ताह पूर्व यह निवेदन किया कि वह प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–2 की उपचरण ''क'' व ''ख'' के अनुसार राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज कर देवे, जिससे अप्रार्थी कतई इन्कार हो गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी ने प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को जरिये जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार कर राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थनापत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थनापत्र शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराया। अप्रार्थी ने जरिये जवाब प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत कृषि भूमि हरदेव सिंह व उसके भाई जसवीर सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिन्होने अपनी काश्त की सुविधा अनुसार कृषि भूमि का विनिमय किया है। जिसको तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी मुताबिक जवाबदावा स्वीकार किया गया है। प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी संख्या–1 हरदेव सिंह चक नम्बर 2 एस.बी.एन. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या–217/43 में 0.6293 है0 कृषि भूमि का व प्रार्थी संख्या–2 जसवीर सिंह चक नम्बर 5 के.एच.आर. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या–284/48 में 0.635 है0 व चक नम्बर 5 के.एच.आर. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या– 48/57 में कुल 0.089 है0 में प्रार्थी संख्या–1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चक नम्बर 2 एस.बी.एन. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या– 217/43 में प्रार्थी संख्या–2 का व चक नम्बर 5 के.एच.आर. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या–284/48 व 48/57 में प्रार्थी संख्या–1 का नाम कलमजन किया जावे, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहनमुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे लिखाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ़

क्रमांक : रीडर / राज / 2020 / 40

दिनांक :- 8-1-21

तहसीलदार (राजस्व)
टिब्बी

विषय :- विविध प्रकरण संख्या-284 / 2020 बअनवानी हरदेव सिंह बनाम तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी में पारित निर्णय की पालनार्थ।

उपरोक्त विष्यान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी संख्या–1 हरदेव सिंह चक नम्बर 2 एस.बी.एन. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या–217 / 43 में 0.6293 है0 कृषि भूमि का व प्रार्थी संख्या–2 जसवीर सिंह चक नम्बर 5 के.एच.आर. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या–284 / 48 में 0.635 है0 व चक नम्बर 5 के.एच.आर. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या– 48 / 57 में कुल 0.089 है0 में प्रार्थी संख्या–1 के नाम दर्ज 1 / 5 हिस्सा का खातेदार काशतकार है। चक नम्बर 2 एस.बी.एन. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या– 217 / 43 में प्रार्थी संख्या–2 का व चक नम्बर 5 के.एच.आर. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या–284 / 48 व 48 / 57 में प्रार्थी संख्या–1 का नाम कलमजन किया जावे, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी